F.N.: NRCC/ADM/Estt./06(02)/Corana-Virus/2020 /763

भाकृअनुप-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र

जोड़बीड़, बीकानेर

दिनांक 01.07.2021

परिपत्र

जैसा की आप सभी को विदित है कि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शिका के अनुसार 45-60 वर्ष व 18+ आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के लिए निशुल्क निर्धारित समय अंतराल पर प्रथम व दितीय टीकाकरण करवाना (Vaccination) अनिवार्य है | प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन व्यक्तियों ने वेक्सीन की दोनों डोज का टीकाकरण करवाया लिया है एवं कोविड मार्गदर्शिका का पालन कर रहे है | वे व्यक्ति आगामी संभावित कोरोना वेरियंट (डेल्टा) की तीसरी लहर से अपने आपको एवं अपने परिवार के सदस्यों तथा आस पास पड़ोस में रहने वालो को सुरक्षित रख सकते है |

अत: केन्द्र पर कार्यरत सभी अधिकारियो/ कर्मचारियों से अनुरोध है की वे कोरोना से बचाव व रोकथाम के सम्बन्ध में करवाए गए टीकाकरण कि जानकारी संलग्न प्रफोर्मा में भरकर भिजवाये |

परिपत्र के जारी होने की तिथि तक जिन अधिकारीयों व कर्मचारियो ने टीकाकरण नहीं करवाया है वे शीघ्र अति शीघ्र टीकाकरण करवाकर कार्यालय को सूचित करे |

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है |

1.7.2021

(आर. ए. साहू)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सभी अधिकारियो/ कर्मचारियों को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु |
   (ईमेल के माध्यम से परिचालन)
2. प्रभारी संपदा अनुभाग / पूल अधिकारी कृपया संलग्न प्रफोर्मा के अनुसार अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के टीकाकरण की सूचना इस कार्यलाय को प्रेषित करे |
3. प्रभारी, ए. के. एम. यूनिट को केन्द्र वेबसाईड पर अपलोड करने बाबत।

प्रथम व दितीय टीकाकरण के लिए (✓) व टीकाकरण नहीं करवाया के लिए (x) निशान से प्रदशित करे

क्रम.स.	कार्मिक नाम	पद	प्रथम टीकाकरण	द्वितीय टीकाकरण	टीकाकरण नहीं करवाया	हस्ताक्षर